कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1673 /11–सी–FP/UP/Road/36788/2018, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 22 ,2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषयः– जनपद–गोरखपुर में सोनौली–गोरखपुर मार्ग (रा0मा0 सं0–29ई0) के किमी0 81.420 (जंगल कौड़िया) से किमी0 98.945 (मोद्दीपुर चौराहा) तक भाग को 4 लेन में चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत किमी0 85.500 (मानीराम रेलवे क्रासिंग) पर प्रस्तावित आर0ओ0बी0 के निर्माण में प्रभावित 0.19384 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–2982/2–6, दिनांक 18.02.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्तावित वनभूमि की 1:50000 माप की सूक्ष्म रंगीन टोपोशीट संलग्न किया गया है, जोकि स्वीकार नहीं है। अतः प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित फुल रंगीन टोपोशीट संलग्न कर ऑनलाइन भाग–1 में अपलोड करे।
2. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण–पत्र में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित किया गया है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित करते हुये संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।
3. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न नहीं किया गया है।
4. प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है किन्तु प्राक्कलन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल गलत अंकित किया गया है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित करते हुये संशोधित विस्तृत प्राक्कलन ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(ii) में अपलोड करे।
5. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iii) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced Digital Map अपलोड नहीं किया गया है।
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की 1:50000 माप की सूक्ष्म रंगीन टोपोशीट संलग्न किया गया है, जोकि स्वीकार नहीं है। अतः प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित फुल रंगीन टोपोशीट संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में अपलोड करे।
7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण–पत्र में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित किया गया है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित करते हुये संशोधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करे।
8. एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी धनराशि के जमा किये जाने की वचनबद्वता संलग्न है, किन्तु वचनबद्वता में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित किया गया है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित करते हुये संशोधित वचनबद्वता ऑनलाइन अपलोड करे।
9. Eco Class के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु एन0पी0वी0 की गणना में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल एवं गणना की दर गलत अंकित किया गया है। अतः एन0पी0वी0 की गणना में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल एवं गणना की दर संशोधित करते हुये एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
10. वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित किया गया है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।

Acy-1117

11. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है तथा प्रमाण पत्र में पत्रांक, दिनांक एवं जिलाधिकारी की मोहर भी अंकित नहीं है। अतः संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।
12. हार्डकापी भाग–2 क्रमांक–7(छ) में वृक्षों की सूची संलग्न होने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रस्ताव में वृक्षों का पातन नहीं है। अतः संशोधित करे।
13. ऑनलाइन भाग–2 क्रमांक–13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। अतः ऑनलाइन में क्षेत्रफल संशोधित करे।
14. ऑनलाइन भाग–1 व हार्ड कापी भाग–1 तथा पृष्ठ सं0–52 पर रोजगार का विवरण भिन्न–भिन्न अंकित किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान रोजगार का विवरण अंकित करे।
15. प्रस्ताव के अधिकांश प्रमाण पत्रों में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.19384 हे0 के स्थान पर 0.1938 हे0 अंकित किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सभी प्रमाण पत्रों में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.19384 हे0 अंकित किया जाय।
16. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–55 पर संलग्न प्रमाण पत्र में संरक्षित वनभूमि पर वन विभाग का स्वामित्व बताया गया है तथा प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न करे।
17. ऑनलाइन भाग–2 के के क्रमांक–13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की kml file के स्थान पर प्रस्तावित वनभूमि की kml file अपलोड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रस्तावित स्थल की kml file डिलिट कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की kml file अपलोड करे।
18. ऑनलाइन में पूर्व में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्रों को डिलिट करते हुये उपरोक्तानुसार संशोधित प्रमाण पत्र अपलोड करे।

**आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अत्यन्त लापरवाही दिखाते हुये प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका परीक्षण किसी भी स्तर से नही किया गया है। कृपया भविष्य में प्रस्ताव भेजते समय उचित परीक्षण करा लें। इससे न केवल अनावश्यक समय की बरबादी होती है, अपितु परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब भी होता है।**

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–1673/11–सी– FP/UP/Road/36788/2018, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।
2. कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0 (रा0मा0), लो0नि0वि0, गोरखपुर।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1118 Email 22/02/19